न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 1/2022

प्रार्थीगण :–

1. हेमाराम पुत्र गोरखाराम
2. लादूराम पुत्र कोजाराम
3. शंकरराम पुत्र कोजाराम
4. मुकनाराम पुत्र कोजाराम
5. शिवराम पुत्र कोजाराम जातियान जाट(रोज) निवासीगण बिसलपुर तह. बिलाडा जिला जोधपुर
6. श्रीमति सायती देवी पुत्री कोजाराम पत्नी पप्पूराम जाति जाट निवासी रामनगर तहसील व जिला जोधपुर
7. श्रीमति नैनी देवी पुत्री कोजाराम पत्नी बुधाराम जाति जाट निवासी रामनगर तहसील व जिला जोधपुर
8. धनुदेवी उर्फ धापूदेवी पुत्री गोरखाराम पत्नी मांगीलाल जाति जाट निवासी बिसलपुर तहसील व जिला जोधपुर
9. लक्ष्मण पुत्र श्रीराम
10. जगदीश पुत्र श्रीराम जातियान जाट निवासी जाटियावास तहसील व जिला जोधुपर
11. श्रीमति परमा पुत्री श्रीराम पत्नी बुधाराम जाति जाट निवासी खारीवाला तहसील व जिला जोधपुर
12. श्रीमति केला पुत्री श्रीराम पत्नी भाकरराम जाति जाट निवासी बिसलपुर तहसील व जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. बाबूलाल पुत्र धन्नाराम
2. भोमाराम पुत्र धन्नाराम
3. रामचन्द्र पुत्र धन्नाराम
4. कालूराम पुत्र धन्नाराम
5. बुधाराम पुत्र सुखाराम
6. सांवरराम पुत्र सुखाराम जातियान जाट(बेडा) निवासीगण बिसलपुर तहसील व जिला जोधपुर
7. श्रीमति परमा पुत्री सुखाराम पत्नी धन्नाराम जाति जाट निवासी बिसलपुर तहसील व जिला जोधपुर
8. श्रीमति संतोष पुत्री सुखाराम पत्नी हडमानराम जाति जाट निवासी बिसलपुर तहसील व जिला जोधपुर
9. श्रीमति चन्दूदेवी पत्नी सुखाराम जाति जाट निवासी बिसलपुर तहसील व जिला जोधपुर
10. मेहनराम पुत्र दुर्गाराम
11. श्यामलाल पुत्र दुर्गाराम जातियान जाट निवासीगण बिसलपुर तहसील व जिला जोधपुर
12. श्रीमति सत्तादेवी पुत्री दुर्गाराम पत्नी बाबूलाल जाति जाट निवासी बिनावास तहसील व जिला जोधपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

13. श्रीमति गलूदेवी पत्नी दुर्गाराम जाति जाट निवासी बिसलपुर तहसील व जिला जोधपुर
14. श्रीमति भूरी पुत्री धन्नाराम पत्नी भगाराम जाति जाट निवासी बिसलपुर तहसील व जिला जोधपुर
15. श्रीमति बीरी पुत्री धन्नाराम पत्नी तुलछाराम जाति जाट निवासी बिसलपुर तहसील व जिला जोधपुर
16. श्रीमति केला पुत्री धन्नाराम पत्नी श्रीराम जाति जाट निवासी बिसलपुर तहसील व जिला जोधपुर
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :– प्रार्थी की ओर से श्री गणपत लाल चौधरी अधिवक्ता।
अप्रार्थी सं. 5 व 6 की ओर से श्री बाबुलाल गौरा अधिवक्ता।
अप्रार्थी सं. 1 से 4 व 7 से 16 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी सं. 17 सरकारी पैरोकार

<u>निर्णय</u> **दिनांक :–** 27/08/24

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रामासनी तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 92 रकबा 23 बीघा 08 बिस्वा स्थित है। यह भूमि सेटलमेन्ट के समय गोरखा पुत्र हरींग जाति जाट, निवासी बिसलपुर की खातेदारी की थी। जो खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2018, जमाबन्दी सम्वत् 2043 से 2046, जमाबन्दी सम्वत् 2055 से 2058 वास्ते सबूत साथ में पेश है।खातेदार गोरखा पुत्र हरींग जाति जाट, निवासी– बिसलपुर, तहसील व जिला जोधपुर की वंशावली प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 2 में वर्णित है वर्णित सजरा खानदान के अनुसार गोरखाराम पुत्र हरींगराम जाति जाट का देहान्त सन् 2016 में हो गया, उनके देहान्त के बाद उनके दो पुत्र हेमाराम, को जाराम तथा दो पुत्रियां धनुदेवी, चुकीदेवी है। खातेदार गोरखाराम के देहान्त के बाद उनकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 92 रकबा 23 बीधा 08 बिस्वा का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1127 दिनांक 05.03.2016 को स्वीकृत किया गया है, उसके बाद खातेदार कोजाराम तथा चुकी देवी का देहान्त हो चुका है, कोजाराम के उत्तराधिकारी उनके चार पुत्र लादूराम, शंकरराम, मुकनाराम, शिवराम तथा दो पुत्रियां सायती देवी, नैनीदेवी है। चुकीदेवी के उत्तराधिकारी उसके दो पुत्र लक्ष्मण, जगदीश तथा दो पुत्रियां परमा, केलादेवी है। पद संख्या 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 2 से 7 का 6ध्24वां हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 8 का 1/4 वां हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 9 से 12 का 4/16वां हिस्सा है। इसी प्रकार ग्राम रामासनी तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 91 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा स्थित है। यह भूमि सेटलमेन्ट के समय धन्नाराम पुत्र भानाराम जाति जाट, निवासी– बिसलपुर की खातेदारी की थी। जो खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2018, जमाबन्दी सम्वत्

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

2022 से 2025, जमाबन्दी सम्वत् 2038 से 2041, जमाबन्दी सम्वत् 2043 से 2046, जमाबन्दी सम्वत् 2055 से 2058 वास्ते सबूत साथ में पेश है। खातेदार धन्नाराम पुत्र भानाराम जाति जाट, निवासी– बिसलपुर, तहसील व जिला जोधपुर की वंशावली प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4 में वर्णित है पैरा सं. 4 में वर्णित सजरा खानदान के अनुसार धन्नाराम पुत्र भानाराम जाति जाट का देहान्त हो गया है। उनके देहान्त के बाद उनके छः पुत्र बाबूलाल, भोमाराम, रामचन्द्र, कालूराम, सुखाराम, दुर्गाराम तथा तीन पुत्रियां भूरी, बीरी, केला तथा पत्नी मगनी देवी है। जिनमें से सुखाराम, दुर्गाराम तथा मगनी देवी का देहान्त हो चुका है। सुखाराम के उत्तराधिकारी उसके दो पुत्र बुधाराम, सांवरराम तथा दो पुत्रियां परमा, संतोष व पत्नी चन्दूदेवी है। दुर्गाराम के उत्तराधिकारी उसके दो पुत्र मोहनराम, श्यामलाल तथा एक पुत्री सत्ता व पत्नी गलूदेवी है। इनके अलावा अन्य कोई प्रथम श्रेणी के वारिसान् नहीं है। पद संख्या 3 में वर्णित भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/9 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 2 का 1/9 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 3 का 1/9 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 4 का 1/9वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 5 से 9 का 5/45वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 10 से 13 का 4/36वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 14 का 1/9वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 15 का 1/9वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 16 का 1/9 वां हिस्सा है। प्रार्थीगण ने दो माह पूर्व अफवाह सुनी कि उनके पिता, दादा एवम् नाना गोरखाराम की खातेदारी की उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 92 रकबा 23 बीघा 08 बिस्वा का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में खसरा नम्बर गलत अंकित कर दिया गया है तो प्रार्थीगण ने दिनांक 25.10.2021 को पटवारी हल्का से भूमि खसरा नम्बर 92 रकबा 23 बीघा 08 बिस्वा के राजस्व रेकर्ड के बारे में जानकारी चाही तो हल्का पटवारी ने राजस्व रेकर्ड देखकर बताया कि जमाबन्दी सम्वत् 2055 से 2058 को कम्प्यूटराईज्ड करते समय खसरा नम्बर 92 के बजाय खसरा नम्बर 91 दर्ज कर दिया गया है और कहा कि आप न्यायालय से शुद्धी करवाओ तब आपका फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज किया जायेगा। जिस पर प्रार्थीगण दिंनाक 02.12.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प रामासनी में गये और शिविर प्रभारी अधिकारी के समक्ष खसरा नम्बर 92 के बजाए खसरा नम्बर 91 की शुद्धी करवाने हेतु का प्रार्थना–पत्र पेश किया, जिस पर शिविर प्रभारी अधिकारी जी ने दस्तावेजात् देखकर प्रार्थीगण को बताया कि आप सक्षम न्यायालय के समक्ष रेकर्ड दुरुस्ती का प्रार्थना–पत्र पेश करे, जिस पर प्रार्थीगण ने अपने अधिवक्ता से जोधपुर में जाकर सम्पर्क किया और दिनांक 06–12–2021 को भूमि खसरा नम्बर 92 की खतौनी बन्दोबस्त, जमाबन्दी आदि की नकल प्राप्त करने हेतु जिला कलेक्टर (भू–अभिलेखागार) जोधपुर के कार्यालय में नकल आवेदन पत्र पेश किया, जिस पर दिनांक 10.12.2021 को भूमि खसरा नम्बर 92 की खतौनी बन्दोबस्त व जमाबन्दी आदि की प्रमाणित प्रतिलिपि को प्राप्त किया तो प्रार्थीगण को मालूम हुआ कि भूमि

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

खसरा नम्बर 92 रकबा 23 बीघा 08 बिस्वा की जमाबन्दी सम्वत् 2055 से 2058 में खसरा नम्बर 92 के बजाय खसरा नम्बर 91 दर्ज कर दिया गया है। पद संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 92 रकबा 23 बीघा 08 बिस्वा की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2018 तथा उसके आगे की जमाबन्दी सम्वत् 2043 से 2046, जमाबन्दी सम्वत् 2055 से 2058 को देखने से मालूम पडता है कि उसमें गोरखा पुत्र हरींगराम, जाति जाट, निवासी बिसलपुर, तहसील जोधपुर खातेदार के रूप में इन्द्राज है तथा खसरा नम्बर 92 लिखा हुआ है तथा रकबा 23 बीघा 08 बिस्वा स्पष्ट रूप से दर्ज है, लेकिन जमाबन्दी सम्वत् 2055 से 2058 को कम्प्युटराईज्ड किया गया तब कम्प्युटर टाईप की गलती से खसरा नम्बर 92 के बजाय खासरा नम्बर 91 दर्ज कर दिया गया है। कम्प्युटराईज्ड जमाबन्दी सम्वत् 2055 से 2058 के आगे की जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070, जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 में गलत खसरा अंकित चला आ रहा है। पद संख्या 3 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 91 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2018 तथा उसके आगे की जमाबन्दी सम्वत् 2022 से 2025, जमाबन्दी सम्वत् 2038 से 2041, जमाबन्दी सम्यत् 2043 से 2046, जमाबन्दी सम्वत् 2055 से 2058 को देखाने से मालूम पडता है उसमें धन्नाराम पुत्र भानाराम जाति जांट, निवासी बिसलपुर तहसील व जिला जोधपुर खातेदार के रूप में इन्द्राज है तथा खसरा नम्बर 91 लिखा हुआ है तथा उसका रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा स्पष्ट रूप से दर्ज है, लेकिन जमाबन्दी सम्वत् 2055 से 2058 को कम्प्युटराईज्ड किया गया तब हल्का पटवारी द्वारा टंकणीय गलती से खसरा नम्बर 91 की बजाय खसरा नम्बर 92 दर्ज कर दिया गया है, कम्प्युटराईज्ड जमाबन्दी सम्वत् 2055 से 2058 के आगे की जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070, जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 में गलत खसरा अंकित चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 92 रकबा 23 बीघा 08 बिस्वा की जमाबन्दी सम्वत् 2055 से 2058 में खसरा नम्बर 91 दर्ज करने से पहले प्रार्थीगण को कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, अतः सारी कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन केवल म्युटेशन के आधार पर ही किया जा सकता है एवम् म्युटेशन किसी न्यायालय के निर्णय, डिकी, आदेश से या बेचान हस्तान्तरण के आधार पर ग्राम पंचायत या तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। मौजूदा मामले में न तो राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन का किसी न्यायालय का कोई निर्णय या आदेश है तथा न कोई म्युटेशन स्वीकृत किया गया है। अतः पटवारी द्वारा बिना आधार एवम् अनाधिकृत तौर से रेकर्ड में खसरा गलत अंकित करने में भूल की गई है, जिसे पुनः खसरा को सही इन्द्राज किया जाना न्यायसंगत एवम् आवश्यक है। पद संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 92 रकबा 23 बीघा 08 बिस्वा खतौनी बन्दोबस्त गोरखाम पुत्र हरींग जाति जाट के नाम से दर्ज है। लेकिन जमाबन्दी सम्वत् 2055 से 2058 को हल्का पटवारी द्वारा कम्प्युटराईज्ड करते

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

समय टाईप की गलती से खसरा नम्बर 92 के बजाय खसरा नम्बर 91 टाईप कर दिया गया, जो एक सदभाविक लिपिकिय भूल है। प्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में भूमि खसरा नम्बर 91 रकबा 23 बीघा 08 बिस्वा के स्थान पर खसरा नम्बर 92 रकबा 23 बीघा 08 बिस्वा का संशोधन कराने हेतु का यह प्रार्थना–पत्र पेश करना पड रहा है।

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम रामासनी तहसील विलाडा की भूमि खसरा नम्बर 91 रकबा 23 बीधा 08 विस्वा जमाबन्दी सम्वत् 2055 से 2058 (खाता संख्या नया 58 व पुरानी 57) की दुरुस्ती की जाकर खसरा नम्बर 91 रकबा 23 बीधा 08 बिस्वा के स्थान पर खसरा नम्बर 92 रकबा 23 बीघा 08 बिस्वा रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमायें। इसी प्रकार ग्राम रामासनी तहसील बिलाडा की भूमि खसरा नम्बर 92 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा की जमाबन्दीं सम्वत् 2055 से 2058 (खाता संख्या नया 128 व पुरानी 121) की दुरूस्ती की जाकर खसरा नम्बर 91 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमायें एवम् खसरा नम्बर 92 रकबा 23 बीघा 08 बिस्वा में 1/4 हिस्सा प्रार्थी संख्या 1 का तथा 1/24वां हिस्सा प्रार्थी संख्या 2 का तथा 1/24वां हिस्सा प्रार्थी संख्या 3 का तथा 1/24वां हिस्सा प्रार्थी संख्या 4 का तथा 1/24वां हिस्सा प्रार्थी संख्या 5 का तथा 1/24वां हिस्सा प्रार्थी संख्या 6 का तथा 1/24वां हिस्सा प्रार्थी संख्या 7 का तथा 1/4 हिस्सा प्रार्थी संख्या 8 का तथा 1/16 वां हिस्सा प्रार्थी संख्या 9 का तथा 1/16वां हिस्सा प्रार्थी संख्या 10 का तथा 1/16वां हिस्सा प्रार्थी संख्या 11 का तथा 1/16वां हिस्सा प्रार्थी संख्या 12 का दर्ज करने का आदेश तहसीलदार बिलाडा को फरमाया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण को सम्मन बाद तामिल पेश हुए। अप्रार्थी सं. 5 व 6 की ओर से श्री बाबुलाल गौरा अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं. 1 से 4 व 7 से 16 को उपस्थित होने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया तथा बार–बार आवाज दिलवाई गयी लेकिन अप्रार्थी सं. 1 से 4 व 7 से 16 की तरफ से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 06.12.2022 को अप्रार्थी सं. 1 से 4 व 7 से 16 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। अप्रार्थी सं. 17 सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब पेश कियां गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम रामासनी की वर्तमान जमाबंदी चौसाला संवत् 2075 से 2078 के खाता सं. 55 में प्रविष्टि कोजाराम 1/4, हेमाराम 1/4 पुत्र गोरखराम व धनुदेवी 1/4, चुकी देवी पुत्री गोरखराम जाति जाट सा.बिसलपुर खातेदार दर्ज है खसरा नंबर 91 रकबा 3.7861 दर्ज है। ग्राम रामासनी की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के खाता सं. 171 में प्रविष्टि खसरा नंबर 92 रकबा 1.6585 दर्ज है

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

मिसल बन्दोबस्त ग्राम रामासनी का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि खसरा इन्डेक्स में पेज सं. 7 पर ख.नं. 91 को खाता सं. 28 व 92 को खाता नं. 41 में दर्ज होना पाया गया। मिसल बन्दोबस्त ग्राम रामासनी के पृष्ठ सं. 13 पर मिलान क्षेत्रफल की स्थिति निम्नानुसार दर्ज है।

क्र.सं.	वर्तमान खसरा नंबर		गत खसरा नंबर	
	खसरा नंबर	रकबा	खसरा नंबर	रकबा
1	91	231 / 43	142मि.	231 / 3
2	92	901	152मि.	901

मिसल बन्दोबस्त खतौनी ग्राम रामासनी के खाता नं. 28 जो पृष्ठ नं 51 पर दर्ज है जो गोरखा पुत्र हरिंग जाति जाट निवासी बिसलपुर खसरा नंबर 91 दर्ज था उसे काटकर 92 किया हुआ है। मिसल बन्दोबस्त खतौनी ग्राम रामासनी के खाता नं. 41 जो पृष्ठ सं0 55 पर दर्ज है जो धना पुत्र माना जाति जाट निवासी देह बिसलपुर खसरा नंबर 92 दर्ज था जिसे काटकर 91 किया हुआ है। जमाबंदी चौसाला 2043 से 2046 में प्रविष्टि खातेदार गोरखराम पुत्र हंरिंगराम जाति जाट निवासी बिसलपुर के नाम खसरा नंबर 92 रकबा 23–08 बीघा दर्ज है। जमाबंदी चौसाला 2055 से 2058(हस्तलिखित) में प्रविष्टि खातेदार गोरखराम पुत्र हरींगराम जाति जाट निवासी बिसलपुर के नाम खसरा नंबर 92 रकबा 23–08 बीघा दर्ज है। जमाबंदी चौसाला 2055 से 2058 कम्प्यूटराईज कापी तैयार करते समय खसरा नंबर 92 के स्थान पर 91 रकबा 23–08 बीघा, खातेदार गोरखराम पुत्र हरींगराम दर्ज हुआ। जमाबंदी चौसाला 2067 से 2070 में प्रविष्टि खसरा नंबर 91 रकबा 23–08 बीघा खातेदार गोरखराम पुत्र हरींगराम दर्ज है। जमाबंदी चौसाला 2075 से 2078 में खातेदार कोजाराम, हेमाराम पुत्र गोरखराम, धनुदेवी, चुकीदेवी पुत्री गोरखराम जाति जाट दर्ज हुआ।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि खतौनी बन्दोबस्त के खाता सं. 28 में दर्ज खसरा नंबर 91 को काटकर 92 बनाया गया है तथा खाता सं. 41 में दर्ज खसरा नंबर 92 को काटकर 91 किया गया है रकबे में कोई फेरबदल नहीं किया है। मिलान क्षेत्रफल में खसरा नंबर 91 का रकबा 231 बीघा खसरा नंबर 92 रकबा 901 बीघा दर्ज है। जवाब अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमानजी की सेवा में प्रेषित है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, प्राथीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेकर्ड दुरूस्ती का निवेदन किया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब के तथ्यो को दोहराया और दुरूस्ती किये जाने पर सहमति जाहिर की। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी संवत्

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

2043 से 2046, जमाबंदी संवत 2055 से 2058 व खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2018 में खसरा नंबर 92 रकबा 23 बिघा 08 बिस्वा दर्ज है। इसी प्रकार जमाबंदी संवत् 2022 से 2025, जमाबंदी संवत् 2038 से 2041, जमाबंदी संवत् 2043 से 2046, जमाबंदी संवत् 2055 से 2058 व खतौनी बंदोबस्त संवत् 2018 में खसरा नंबर 91 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा दर्ज है। जबकि जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 व जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 मे खसरा नंबर 91 रकबा 23 बिघा 08 बिस्वा एवं खसरा नंबर 92 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा दर्ज है। सरकारी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया कि जमाबंदी चौसाला 2055 से 2058 कम्प्यूटराईज कापी तैयार करते समय खसरा नंबर 92 के स्थान पर 91 रकबा 23–08 बीघा, खातेदार गोरखराम पुत्र हरींगराम दर्ज हुआ। जमाबंदी चौसाला 2067 से 2070 में प्रविष्टि खसरा नंबर 91 रकबा 23–08 बीघा खातेदार गोरखराम पुत्र हरींगराम दर्ज है। खतौनी बन्दोबस्त के खाता सं. 28 में दर्ज खसरा नंबर 91 को काटकर 92 बनाया गया है तथा खाता सं. 41 में दर्ज खसरा नंबर 92 को काटकर 91 किया गया है रकबे में कोई फेरबदल नहीं किया है। मिलान क्षेत्रफल में खसरा नंबर 91 का रकबा 231 बीघा खसरा नंबर 92 रकबा 901 बीघा दर्ज है। इसलिए उपरोक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 17 सरकारी पैरोकार को आदेश दिया जाता है कि ग्राम रामासनी तहसील बिलाडा के जमाबंदी संवत् 2055 से 2058 की दुरूस्ती की जाकर खसरा नंबर 91 रकबा 23 बीघा 08 बिस्वा के स्थान पर खसरा नंबर 92 रकबा 23 बिघा 08 बिस्वा तथा खसरा नंबर 92 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा के स्थान पर खसरा नंबर 91 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा रेकर्ड में दर्ज किये जाये एवं तहसीलदार बिलाडा को आदेशित किया जाता है कि वो उपरोक्तानुसार शुद्धि का नामान्तरकरण भरें। पत्रावली फैसललशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 27/03/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा